



# दैनिक न्याय साक्षी

## अधिकार से न्याय तक



RNI NO - CHHHN/2018/76480

Postal Registration No-055/Raigarh DN CG

रायगढ़, शनिवार 05 अप्रैल 2025

पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए

वर्ष-07, अंक- 184

### अंतर्राष्ट्रीय

**डोनाल्ड ने भारत को टैरिफ में दी राहत, कुल 16 देशों को छूट; चीन पर सख्ती बरकरार**

वॉशिंगटन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को घोषित किए गए 57 देशों पर टैरिफ के अपने फैसले में आंशिक बदलाव करते हुए भारत सहित 16 देशों को मामूली राहत दी है। ट्रंप ने भारत पर लगाए गए 27 प्रतिशत के रिसिप्रोकल टैरिफ को घटाकर 26 प्रतिशत कर दिया है। यह बदलाव तब आया जब व्हाइट हाउस ने पहले आधिकारिक दस्तावेजों में 27 प्रतिशत टैरिफ की बात कही थी। बुधवार को रिसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत से आयात पर 26 प्रतिशत टैरिफ लगाने की बात कही थी, जबकि व्हाइट हाउस के दस्तावेजों में भारत को 27 प्रतिशत टैरिफ वाली सूची में शामिल किया गया था। गुस्वार को भारतीय अधिकारियों ने भी अमेरिका द्वारा भी भारत पर 27 प्रतिशत रिसिप्रोकल टैरिफ लगाए जाने की पुष्टि की थी। हालांकि, अब व्हाइट हाउस के दस्तावेजों में संशोधन किया गया है और भारत के साथ-साथ 15 अन्य देशों को भी एक-एक फीसदी की छूट दी गई है। व्हाइट हाउस द्वारा शुक्रवार को जारी किए गए संशोधित दस्तावेजों के अनुसार, बोस्निया और हर्जोगोविना का टैरिफ 36% से घटाकर 35%, बोत्सवाना का 38% से 37%, केमरून, फाकलैंड आइलैंड, मलावी, म्यांमार, निकारगुआ, नॉर्वे, पाकिस्तान, फिलीपींस, सर्बिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड और वानुअतु का टैरिफ भी एक-एक प्रतिशत कम किया गया है। पाकिस्तान के लिए रिसिप्रोकल टैरिफ 30% से घटकर 29% हो गया है।

**ना खाना, ना पानी, तुर्की में 30 घंटे से फंसी मुंबई जा रही फ्लाइट; 275 यात्रियों के लिए सिर्फ एक शौचालय**

बैकॉक । लंदन से मुंबई जा रही वर्जिन अटलांटिक फ्लाइट तकनीकी खराबी के कारण तुर्की के दियारबकीर एयरपोर्ट पर 30 घंटे से अधिक समय से फंसी हुई है, जिसमें 260 से अधिक यात्री सवार हैं। एयरलाइन ने इसे हार्ड लैंडिंग बताया, जिसके बाद विमान को उड़ान के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। जहाँ चालक दल को होटल में भेज दिया गया, वहीं यात्री एयरपोर्ट के प्रतिबंधित ट्राइजि एरिया में रुके हुए हैं, जहाँ बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। यात्रियों ने आरोप लगाया कि एयरलाइन ने भोजन, शौचालय, चार्जिंग पॉइंट जैसी आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराईं। आप नेता प्रीति शर्मा-मेनन ने एक्स पर लिखा कि 275 यात्रियों के लिए सिर्फ एक शौचालय है, कोई प्रतिनिधि संपर्क में नहीं है, फोन चार्जिंग की सुविधा भी नहीं है।

**भारतीय दूतावास की प्रतिक्रिया:** तुर्की में भारतीय दूतावास ने कहा कि वे वर्जिन अटलांटिक और स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। कुछ यात्रियों को नजदीकी होटल में शिफ्ट किया गया है और बैकअप फ्लाइट सुबह 9 बजे तक तैयार होने की उम्मीद है। फंसे यात्रियों में बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और बीमार लोग भी शामिल हैं, जिनकी स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है।

**गाजा में और 2,80,000 लोग हुए विस्थापित : संयुक्त राष्ट्र**

संयुक्त राष्ट्र । गाजा में दो सप्ताह पहले युद्ध बढ़ने के बाद से लगभग 280,000 गाजावासी और विस्थापित हुए। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायताकर्ताओं के अनुसार, इनमें से कुछ को भीड़भाड़ वाले, शेक्टर में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। द यूएन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटियन अफेयर्स (ओसीएचए) के मुताबिक, इजरायली की तरफ से और अधिक विस्थापन आदेश जारी किए गए हैं, जिससे लोगों को सुरक्षा की तलाश में फिर से पलायन करने को मजबूर होना पड़ा है। ओसीएचए के मुताबिक, लोग आश्रय गृहों में भी शरण लेने को मजबूर हैं, जहाँ पहले से ही लोगों की भीड़ है। इस वजह से स्टाफों में विभिन्न प्रकार के संक्रमण और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं। विभाग के मुताबिक, नाकेबंदी की वजह से समस्याओं का समाधान तलाशने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि गाजा में स्वच्छता के लिए मौजूदा समय में कोई पर्याप्त साधन नहीं है। ओसीएचए ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र और उसके मानवीय साझेदार परिस्थितियों के अनुसार आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करना जारी रखेंगे। सभी मानवीय सहायता और जरूरी सामानों के प्रवेश पर महीने भर की नाकेबंदी के कारण आबादी बुनियादी जरूरतों से वंचित है।

## वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने को प्रधानमंत्री मोदी ने बताया 'ऐतिहासिक क्षण'

नई दिल्ली । आरएनएस

लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी वक्फ संशोधन विधेयक पास हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक क्षण करार दिया है। उन्होंने कहा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक का पारित होना देश की सामाजिक-आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक पल है। उन्होंने कहा कि यह कदम उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगा, जो लंबे समय से हाशिए पर रहे हैं और जिन्हें आवाज और अवसर से वंचित रखा गया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने सभी सांसदों का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने इन विधेयकों पर संसदीय और समिति चर्चाओं में भाग लिया, अपने विचार प्रस्तुत किए और इन कानूनों को मजबूत बनाने में योगदान दिया।

उन्होंने उन अनगिनत लोगों का भी विशेष धन्यवाद किया, जिन्होंने संसदीय समिति को अपने मूल्यवान सुझाव भेजे। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक बार फिर, व्यापक बहस और संवाद का महत्व साबित हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दशकों तक वक्फ प्रणाली पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी का पर्याय रही है, जिससे विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं, गरीब मुसलमानों और पारदर्शिता के हितों को नुकसान पहुंचा है। संसद से पारित इन विधेयकों से पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों के अधिकारों की रक्षा होगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब हम एक ऐसे युग में प्रवेश करेंगे, जहां दांचा अधिक आधुनिक और सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशील होगा। उन्होंने यह भी कहा कि हम प्रत्येक नागरिक की गरिमा को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी प्रकार, हम एक मजबूत, अधिक समावेशी



और अधिक दयालु भारत का निर्माण करते हैं।

उल्लेखनीय है कि वक्फ (संशोधन) विधेयक राज्यसभा में पारित हो गया है। इसके साथ ही विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई है। ऊपरी सदन में गुस्वार को पेश होने के बाद करीब 12 घंटे चली चर्चा के बाद गुस्वार-शुक्रवार की दरम्यान रात को विधेयक पारित हुआ। इसके पक्ष में 128 और विरोध में 95 मत पड़े। लोकसभा पहले ही इसे मंजूरी दे चुकी थी। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ अधिनियम में संशोधन के जरिए वक्फ बोर्ड के दांचे में बदलाव और कानूनी विवादों को कम करना है।

## वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ओवैसी, कांग्रेस सांसद ने दी दायर की याचिका

नई दिल्ली । आरएनएस

वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद जूमे की नमाज को लेकर पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी है। इसी क्रम में यूपी की राजधानी लखनऊ, गाजियाबाद, रायबरेली और संभल में धार्मिक स्थलों के सामने से मार्च निकाला जा रहा है। साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस तैनात है। वहीं, अब लोकसभा और राज्यसभा से पास हुए वक्फ संशोधन बिल को देश की सबसे बड़ी अदालत में चुनौती दी गई है।

हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ओवैसी ने देश की सर्वोच्च अदालत में इस संशोधन बिल के खिलाफ याचिका दायर की है। ओवैसी से पहले बिहार के कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। ऐसे में अभी तक वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम

कोर्ट में दो याचिका दाखिल कर दी गई है। राज्यसभा से गुस्वार को बिल पास होने के बाद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा था कि कांग्रेस हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तमिलनाडु की छरूय ने भी याचिका लगाने की बात कही थी। अब कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ बिल के खिलाफ पहली याचिका पेश की है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना में संशोधन कर उसमें वक्फ प्रशासनिक निकायों में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य किया गया है। ये करना धार्मिक शासन में अनुचित हस्तक्षेप है। इसके विपरीत, हिंदू धार्मिक न्याय विभिन्न राज्य अधिनियमों के तहत विशेष रूप से हिंदुओं द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। जावेद ने अर्जी में कहा है कि यह चयनात्मक हस्तक्षेप, बिना अन्य धार्मिक संस्थानों पर समान शर्तें लगाए बिना किया गया है। लिहाजा ये एकतरफा और मनमाना वर्गीकरण है। ये अनुच्छेद 14 और 15 का सीधा सीधा उल्लंघन है।

## दर्दनाक हादसा : महिला मजदूरों को ले जा रहा ट्रैक्टर कुएं में गिरा, 8 की मौत; रेस्क्यू जारी

नांदेड़ । आरएनएस

महाराष्ट्र के नांदेड़ में आज एक बड़ी घटना सामने आई है। यहां महिला मजदूरों को ले जा रहा एक ट्रैक्टर कुएं में गिर गया। इस घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा नांदेड़ के अलेगांव शिवरा में हुआ। आशंका जताई जा रही है कि कुछ महिलाएं कुएं में फंसी हो सकती हैं। घटनास्थल पर फिलहाल बचाव कार्य जारी है।

जानकारी के मुताबिक, घटना नांदेड़ इलाके के अलेगांव में सुबह करीब 9 बजे घटी। हिंगोली जिले में एक ट्रैक्टर पर सवार होकर महिला मजदूर हल्ली की कटाई के लिए खेत की तरफ जा रही थीं। रास्ते में कुआं था, इसका अंदाजा ड्राइवर को नहीं था। परिणामस्वरूप ट्रैक्टर सीधे कुएं में जा गिरा। जैसे ही ट्रैक्टर कुएं में गिरा, वहां चौख-पुकार मच गई। घटना के बाद वहां से गुजर रहे कुछ राहगीरों



ने सूचना प्रशासन को दी। इसके बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची।

घटना में 8 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई। कई महिलाएं कुएं में डूब गईं। इसलिए मौत का आंकड़ा अभी स्पष्ट नहीं है। जबकि, कुएं में गिरी अन्य महिलाओं का रेस्क्यू जारी है। रेस्क्यू टीम रस्सी की मदद से महिलाओं को कुएं से बाहर निकाल रही हैं। बचाव अभियान के दौरान कुछ महिलाओं को पानी से बाहर निकाला गया है।

## क्लास रीयूनियन बना जानलेवा मिलन, प्रेमी संग रहने के लिए महिला ने मार डाले अपने 3 बच्चे

संगारडु/मेरठ । आरएनएस

उत्तर प्रदेश के मेरठ में मुस्कान द्वारा अपने पति की हत्या के बाद, तेलंगाना के संगारडुडी से एक और दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक 30 वर्षीय महिला, रजिता ने अपने तीन मासूम बच्चों की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, रजिता ने यह खौफनाक कदम इसलिए उठाया ताकि वह अपने पुराने प्रेमी, सुरेश शिवकुमार के साथ अपना जीवन बिता सकें। रजिता और शिवकुमार ने 9वीं और 10वीं कक्षा में एक साथ पढ़ाई की थी।

और कुछ समय पहले ही उनकी मुलाकात हुई थी। इस मामले में पुलिस ने रजिता और शिवकुमार को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है।

पुलिस ने इस घटना का खुलासा करते हुए बताया कि रजिता और शिवकुमार की



मुलाकात कुछ महीने पहले उनकी 10वीं कक्षा के बैच के रीयूनियन में हुई थी। रजिता का विवाह 2013 में चैन्नैया से हुआ था, जो उससे उम्र में काफी बड़े (50 वर्ष) हैं। माना जा रहा है कि दोनों के बीच उम्र का अंतर और आपसी झगड़े भी इस दूरी का कारण बने। छह महीने पहले रीयूनियन में अपनी पुरानी सहपाठी शिवा से मिलने के बाद, रजिता का पुराना प्यार फिर से जाग उठा। बताया जा रहा है कि रजिता और शिवा

## मणिपुर में तलाशी अभियान, भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद

इंफाल । आरएनएस

मणिपुर के दो जिलों में सुरक्षा बलों ने हाल ही में चलाए गए तलाशी अभियान में बड़ी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद की है।

यह कार्रवाई कांगपोकपी और इंफाल पूर्वी जिले के अलग-अलग इलाकों में की गई, जहां कथित तौर पर कुकी सशस्त्र समूहों ने बंकर बनाए थे। अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने इन बंकरों को नष्ट कर दिया और अवैध हथियारों का जखीरा जब्त किया। यह जानकारी मणिपुर पुलिस ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर दी है।

कांगपोकपी जिले के एस. मोंगपी रिज क्षेत्र में पहले अभियान में एक 7.62 मिमी एसएलआर मैगजीन, एक



3.03 राइफल मैगजीन, एक सिंगल बैरल ब्रीच लोडिंग (एसबीबीएल) गन, दो 9 मिमी पिस्तौल मैगजीन, तीन एसबीबीएल गन कार्ट्रिज, तीन

3.03 गोला-बारूद और एक 38 मिमी एंटी-रायट कार्ट्रिज बरामद किया गया।

इसके अलावा, संशोधित पोम्पी बम भी मिले, जिनमें एक लंबी दूरी

मिमी, 55 मिमी और 45 मिमी कैलिबर), और विभिन्न कैलिबर के 75 से अधिक पोम्पी बम बरामद किए गए।

इनमें 82 मिमी, 75 मिमी, 60 मिमी और 45 मिमी कैलिबर के बम शामिल हैं। इसके अलावा, दो बर्मी इलेक्ट्रॉनिक आईईडी (प्रत्येक 5 किलोग्राम), तीन 12 बोर गोला-बारूद और दो बाओफेंग रेडियो सेट भी मिले। इस क्षेत्र में कुकी सशस्त्र समूह द्वारा बनाए गए 13 बंकरों को सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया।

अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए चलाया गया था। बरामद हथियारों और विस्फोटकों की जांच शुरू कर दी गई और संदिग्धों से पूछताछ जारी है।

## हिसार एयरपोर्ट से पहली उड़ान अयोध्या के लिए, 14 अप्रैल को पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ

चंडीगढ़ । आरएनएस

हिसार एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट अयोध्या के लिए रवाना होगी। इस महत्वपूर्ण यात्रा का शुभारंभ 14 अप्रैल को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हिसार से अयोध्या सिर्फ दो घंटे का। विमान सुबह 10:40 बजे अयोध्या के लिए रवाना होगा और दोपहर 12:40 बजे वहां लैंड करेगा। इससे पता चलता है कि हिसार से अयोध्या की यात्रा में अब सिर्फ 2 घंटे का समय लगेगा। यात्रियों को आरामदेह उड़ान का अनुभव होने के साथ-साथ समय की भी बचत होगी। सीआईएसएफ को मिला सुरक्षा का जिम्मा सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को सौंपी गई है। हिसार एयरपोर्ट पर कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं। यह कार्य सीआईएसएफ

(केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) को सौंप दिया गया है।

हरियाणा से नए विमान उद्योगों की शुरुआत: हरियाणा के विमान उद्योग में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य के नागरिकों को अब दिल्ली या चंडीगढ़ हवाई अड्डों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। भविष्य में इस साइट से अन्य शहरों की यात्रा की अधिक संभावना है।

14 अप्रैल, 2025 को हिसार के इतिहास में एक स्वर्णिम दिन जुड़ जाएगा। यहाँ से अयोध्या के लिए यह पहला सीधा हवाई संपर्क होगा। धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से, यह कदम न केवल हरियाणा के विकास को गति देगा बल्कि एक उल्लेखनीय उपलब्धि के रूप में भी देखा जाएगा।

## श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में केंद्र और एसआई को पक्षकार बनाने की मांग, 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

मथुरा । आरएनएस

उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही इंदगाह मस्जिद से जुड़े दो मामलों में शुक्रवार को हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े दो मामले सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध थे। पहला मामला मस्जिद कमेटी द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने से जुड़ा था, जिसमें हमने संशोधन आवेदन दाखिल कर अनुरोध किया था कि एसआई और केंद्र सरकार को पक्ष बनाया जाए। हाईकोर्ट ने हमारा अनुरोध स्वीकार



कर लिया था। हालांकि, मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और कोर्ट ने मामले को 8 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया।

उन्होंने दूसरे मामले के बारे में कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जन्मभूमि से जुड़े 15 मुकदमों को एक साथ

जोड़ दिया था और इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को खारिज कर दिया था और मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट में रि कॉल आवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया था। रि कॉल आवेदन 23 अक्टूबर को खारिज कर दिया गया था। शुक्रवार को मस्जिद कमेटी ने अपनी पिछली एसएलपी को फिर से शुरू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल किया। कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है और मामले की सुनवाई दूसरे बैच के मामलों के साथ होगी।

बता दें कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही इंदगाह मस्जिद से जुड़े दो मामले सुप्रीम कोर्ट में लाए गए थे। पहले मामले में इलाहाबाद कोर्ट के ऑर्डर को मस्जिद कमेटी द्वारा चुनौती दी गई थी। इस मामले में हिन्दू पक्ष की ओर से संशोधन आवेदन दाखिल किया गया था। हिन्दू पक्ष ने हाईकोर्ट से मांग की थी कि इस मामले में एसआई और केंद्र सरकार को पक्ष बनाया जाए। हाईकोर्ट ने हिन्दू पक्ष की इस मांग को स्वीकृति दी थी। हाईकोर्ट के उस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इस मामले में 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।